न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 96/23 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2023/226

उनवान

1. श्रीमति गोपीबाई पत्नी रूपा जी, जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी माण्डुथल, तहसील मावली, हाल घासा जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री बाबुलाल जी गुर्जर पिता रूपा जी, जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी माण्डुथल, तहसील मावली, हाल घासा जिला उदयपुर (राज.) ....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती लेहरी पत्नी जालु जी, जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी माण्डुथल, तहसील मावली, हाल घासा जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री मुकेश पिता जालु जी, जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी माण्डुथल, तहसील मावली, हाल घासा जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती गंगाबाई पुत्री मोती जी, जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी माण्डुथल, तहसील मावली, हाल घासा जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती टमुबाई पुत्री मोती जी, जाति गुर्जर, आयु वयस्क, आयु वयस्क, निवासी माण्डुथल, तहसील मावली, हाल घासा जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती नवलीबाई पुत्री मोती जी, जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी माण्डुथल, तहसील मावली, हाल घासा जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री नाथुलाल पिता मोती जी, जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी माण्डुथल, तहसील मावली, हाल घासा जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री भेरूलाल पिता मोती जी, जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी माण्डुथल, तहसील मावली, हाल घासा जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती सवागीबाई पुत्री मोती जी, जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी माण्डुथल, तहसील मावली, हाल घासा जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती टमुबाई पत्नी दला जी, जाति गुर्जर, आयु वयस्क, आयु वयस्क, निवासी माण्डुथल, तहसील मावली, हाल घासा जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती प्रेमबाई पुत्री दला जी, जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी माण्डुथल, तहसील मावली, हाल घासा जिला उदयपुर (राज.)
11. श्री राजु पिता दला जी, जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी माण्डुथल, तहसील मावली, हाल घासा जिला उदयपुर (राज.)
12. श्री वजेराम पिता दला जी. जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी माण्डुथल, तहसील मावली, हाल घासा जिला उदयपुर (राज.)
13. श्री भैरा पिता हीरा जी, जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी माण्डुथल, तहसील मावली, हाल घासा जिला उदयपुर (राज.)
14. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील मावली, हाल घासा जिला–उदयपुर (राज)
15. पटवारी पटवार हल्का विरधोलीया, तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०)

.............विपक्षीगण

उपस्थित 1. श्री हीरालाल सालवी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र [illegible] अधिनियम

नि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:02 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 04.06.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि गांव माण्डुथल, पटवार हल्का सिन्दु, तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर आराजी संख्या 1259/560 रकबा 1.6878 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1263/104 रकबा 0.2840 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हम प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त भूमि के चारो दिशाओ में विपक्षीगण की भूमि होकर विपक्षीगण पड़ौसी खातेदार है।
2. यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजीयात आपस में सटमा होकर इनके मध्य सीमा के स्थाई निशान नही होने से सीमा विवाद होता रहता है, तथा विपक्षीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में नाजायज हक अधिकार जमाते है जिसका विपक्षीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उक्त जमीन पर काबिज है और परिवारजन सहित शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के सीमा के निशान नहीं होने से पत्थरगडी कराना आवश्यक है ताकि हमारे मध्य भविष्य में होने वाले विवादों को रोका जा सकें।
3. यह कि प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 01–06–2023 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण संख्या 1 से 13 को पत्थरगडी कराने के लिये कहां तो विपक्षीगण ने मना कर दिया जिससे उक्त प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न हो निरंतर जारी है।
4. अंत में निवेदन किया की मुझ प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय का आदेश फरमाया जावें कि उक्त कृषि भूमि के पूर्व, पश्चिम, उतर, दक्षिण की सीमा की पत्थरगडी कराई जाकर सीमांकन करवाया जावें तथा विपक्षीगण को पांबद किया जावें कि वो हम प्रार्थीगण के हिस्से में आने वाली आराजीयात में कोई दखलन्दाजी नही करें तथा प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग करने देवें।
5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 6 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 5, 13 फौत हो जाने से अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा इनके संबंध में कोई कार्यवाही नही चाहने बाबत निवेदन करने से कार्यवाही ड्रोप की गई। विपक्षी संख्या 1 से 4, 10 से 12 के विरूद्ध भी अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत निवेदन करने से कार्यवाही ड्रोप की गई। विपक्षी संख्या 14, 15 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा एकपक्षीय बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी हक की भूमि है प्रार्थीगण की भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान कराने का श्रम करावें।
6. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि मौजा माण्डुथल पटवार हल्का सिन्दु तहसील मावली हाल घासा जिला उदयपुर की नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Funadia
Date: 2025.10.24 16:54:02 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 176 पर दर्ज आराजी नम्बर 1259/560 रकबा 1.6878 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1263/104 रकबा 0.2840 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगडी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है किसी प्रकार की घोषणा नही चाही गई है। उक्त भूमि का सीमाकंन कर पत्थरगडी कर दी जाती है तो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नहीं रहेगा। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण द्वारा अनुतोष में अंकित किया है कि विपक्षीगण को पांबद किया जावें कि वो हम प्रार्थीगण के हिस्से में आने वाली आराजीयात में कोई दखलन्दाजी नही करें। इस संबंध में विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। जिसमें केवल मात्र पत्थरगड़ी करने के आदेश दिए जा सकते है। विपक्षीगण को पाबंद कराने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

7. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/– रूपये शुल्क पर तहसीलदार घासा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा माण्डुथल पटवार हल्का सिन्दु तहसील मावली हाल घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 176 पर दर्ज आराजी नम्बर 1259/560 रकबा 1.6878 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1263/104 रकबा 0.2840 हैक्टेयर भूमि की चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थी एवं विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थी एवं विपक्षीगण / पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नही करें। उभय पक्ष कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।
8. तहसीलदार घासा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
9. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:02 IST
Reason: SelfAttested